प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

बीमा लाभ

- दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दोनों आंखों या दोनों हाथों/पांवों या एक आंख एवं एक हाथ/पांव की क्षति – रु. 2 लाख
- दुर्घटनावश एक आंख/हाथ/पांव की क्षति – रु. 1 लाख

पात्रता

- 18 से 70 वर्ष (योजना में दर्ज होने के सबसे पास वाले जन्मदिन पर) आयु के बचत खाताधारी
- एक से अधिक खाते होने पर केवल एक खाते से बीमा मान्य

प्रीमियम

- रु. 12 प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति
- प्रतिवर्ष 1 जून को बचत खाते से ऑटो–डेबिट द्वारा देय
- प्रीमियम की राशि वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है, परंतु प्रथम 3 वर्ष में प्रीमियम राशि में वृद्धि न होने का प्रयास रहेगा
- अभिदाता को 1 वर्ष या प्रतिवर्ष ऑटो–डेबिट का विकल्प

बीमा हेतु दर्ज होने की प्रक्रिया

- संबंधित बैंक शाखा अथवा बैंक मित्र (बैंकिंग करस्पॉन्डेंट) के पास 31 मई तक संलग्न फॉर्म जमा करना
- 2015 में दर्ज होने की तिथि 31 अगस्त तक, जिसे भारत सरकार 30 नवंबर तक बढ़ा सकेगी

बीमा सुरक्षा की समाप्ति

- 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
- बैंक खाता बंद होने पर
- प्रीमियम भुगतान हेतु खाते में पर्याप्त राशि न होने पर

बीमा का प्रमाण

- बैंक में जमा फॉर्म की अभिस्वीकृति बीमा का प्रमाण होगी

बीमा दावा

- दावा संबंधित बैंक में जमा होगा, जो इसे बीमा कंपनी को भेजेगा